स्वतंत्र कुमार और एसएस सरोन से पहले, न्यायाधीशों के समक्ष

बाल कृष्ण - याचिकाकर्ता

बनाम

भारतीय खाद्य निगम और अन्य - उत्तरदाता

2002 का सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 4714

13 सितम्बर, 2002

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226- भारतीय खाद्य निगम विनियम, 1971 - खाद्यान्नों की कमी - निगम को नुकसान - अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने में देरी - खाद्यान्नों के भंडारण के परिणामस्वरूप वजन की हानि का मानक निर्दिष्ट नहीं है - विभागीय कार्यवाही को खराब करने का कोई आधार नहीं है - निगम द्वारा उच्च स्थिति / पद धारण करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना - निर्देशों का उल्लंघन - विभागीय कार्यवाही रद्द करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, भले ही कुछ हो सकते हैं। निगम की ओर से प्रशासनिक चूक- निगम को ऐसे सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

यह माना गया कि भारतीय खाद्य निगम भंडारण के दौरान वजन के नुकसान के मानक को निर्दिष्ट किए बिना विभागीय कार्यवाही शुरू कर सकता है और जारी रख सकता है। इससे विभागीय कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और परिस्थितियों के तथ्यों को देखते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू करने में विलंब भी विभागीय कार्यवाही के लिए घातक नहीं होगा। किसी भी मामले में, याचिकाकर्ताओं के आचरण को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आरोप-पत्रों में

परिलक्षित होता है, नुकसान जबरदस्त है और इसे याचिकाकर्ताओं के बजाय निगम के पक्ष में झुकने के लिए बड़े सार्वजनिक हित की मांग इक्विटी के रूप में अनदेखा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विशेष रूप से याचिकाकर्ताओं के लिए किसी विशेष पूर्वाग्रह के अभाव में देरी को आरोप-पत्र को रद्द करने का आधार नहीं माना जा सकता है।

(पैरा 11)

इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों के लिए यह हमेशा उचित होता है कि वे सभी दोषी अधिकारियों / अधिकारियों के साथ कानून के अनुसार व्यवहार करें, भले ही निगम में संबंधित व्यक्ति द्वारा या अन्यथा स्थिति / स्थिति कुछ भी हो। यदि पर्यवेक्षी कार्य प्रदान किए जाते हैं और कर्तव्यों के लिए ऐसे अधिकारियों को बेहतर तरीके से पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने या न करने और उचित सुनिश्चित करने के लिए

भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुपालन में, हम आशा करते हैं कि विभाग निगम में ऐसे अन्य दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। जाहिर है, याचिकाकर्ताओं को विभागीय कार्यवाही में या अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष, जैसा भी मामला हो, इन सभी दलीलों को लेने की स्वतंत्रता है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के आरोप पत्र को रद्द करने से इनकार कर दिया है और भारतीय खाद्य निगम को भी विभागीय कार्यवाही को जल्द से जल्द और किसी भी मामले में आज से एक वर्ष के भीतर समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

याचिकाकर्ताओं के वकील बलजीत पुरी और वकील गुलशन शर्मा शामिल हैं।

के.के. गुप्ता, 2002 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 12911 से 12918, 13345 और 13346 में एफ.सी.आई. के वकील।

जी.एस. संधावालिया, एडवोकेट, एफ.सी.आई. में सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 525, 1920, 2415, 5000, 5492, 5680, 6853, 9546, 9547 और 9744 2002 के लिए।

अश्विनी पराशर, वकील, 2001 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 19756 में एफ.सी.आई. के लिए।

एच.एस. ढांडी, 2002 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 6865 और 7048 में एफ.सी.आई. के वकील।

अरुण वालिया, 2002 के सीडब्ल्यूपी नंबर 9773 और 9905 में एफसीआई के वकील।

वी. रामस्वरूप, 2002 के सी.डब्ल्यू.पी. सं. 4714, 4744, 6363, 6344, 6857 और 6663 और 2001 के सी.डब्ल्यू.पी. सं. 19668 में एफ.सी.आई. के अधिवक्ता।

हरिपाल वर्मा, 2001 के सीडब्ल्यूपी नंबर 19950 में उत्तरदाताओं के वकील।

प्रमोद कुमार, 2001 के सीडब्ल्यूपी नंबर 7767 और 18131, 18924 और 15626 और 2002 के सीडब्ल्यूपी नंबर 384 में एफसीआई के वकील।

परमजीत सिंह थिएरा, धनविंदर सिंह एडवोकेट,2002 के

सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 9988, 12196, 12155 और 12156 एफसीआई

के लिए।

न्यायालय का निर्णय

स्वतंत्र कुमार, न्यायाधीश,

(1) हमने पक्षों के वकीलों को विस्तार से सुना है।

(2) इस सामान्य फैसले से, हम अंतिम सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष आज सूचीबद्ध 48 रिट याचिकाओं का निपटारा करेंगे।

(3) कुछ समान तथ्यों के आधार पर अदालत के विचार के लिए कानून का कम या ज्यादा सामान्य प्रश्न उठता है।

(4) याचिकाकर्ता भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारी हैं और उनके खिलाफ आरोप पत्र देकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। कुछ मामलों में सजा के आदेश पारित किए जा चुके हैं, जबकि अन्य में विभागीय जांच अभी जारी है। उत्तरदाताओं के इन कार्यों के लिए चुनौतियां मुख्य रूप से, निम्नलिखित तर्कों पर आधारित हैं:—

1. यह कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के भंडारण से होने वाली अनुमेय हानि के मानक को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, इसके अभाव में याचिकाकर्ता (ओं) के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया जा सकता है और आरोप पत्र रद्द किया जा सकता है।

2. मामलों में आरोप पत्र पहले 10 साल से अधिक की अवधि के लिए अपराध करने से संबंधित हैं, जबकि कुछ मामलों में यह 4 साल की अवधि से संबंधित है और इस तरह, अनुशासनात्मक कार्रवाई अत्यधिक देरी के आधार पर दूषित होती है, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता (ओं) के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।;

3. अधिकांश याचिकाकर्ताओं को, विशेष रूप से 2002 की सिविल रिट याचिका संख्या 19950 के संदर्भ में, सहायक /जिला प्रबंधक द्वारा याचिकाकर्ता (ओं) के पक्ष में उसी स्टॉक के संबंध में संतुष्टि का प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया है; और

4. प्रतिवादियों ने उनके अनुदेशों के अनुसार और उसमें निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई नहीं की है और इस प्रकार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तर्कसंगत नहीं थी क्योंकि अन्य चूककर्ता अधिकारियों/अधिकारियों, विशेष रूप से तकनीकी और गुणवत्ता नियंत्रण कर्मचारियों और विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों के खिलाफ कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि उनकी भागीदारी भारतीय खाद्य निगम के रिकॉर्ड से स्पष्ट है।

(5) इसके विपरीत, भारतीय खाद्य निगम की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि उन्होंने कानून और संबंधित निर्देशों के अनुसार कार्य किया है। यह आगे तर्क दिया गया है कि भारतीय खाद्य निगम विनियमन 1971 के तहत याचिकाकर्ताओं (जहां भी दंड के आदेश पारित किए गए हैं) के लिए अपील का वैधानिक उपाय उपलब्ध है।

(6) जहां तक याचिकाकर्ताओं की ओर से हमारे समक्ष उठाए गए पहले दो तर्कों का संबंध है, उनमें कोई दम नहीं है, इन प्रश्नों पर इस न्यायालय की विभिन्न पीठों द्वारा काफी विस्तार से विचार किया गया है। हमारे पास उसमें व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से असहमत होने का कोई कारण नहीं है और वास्तव में, संबंधित पीठों द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष को अपनाने के संबंध में।

(7) इस न्यायालय की खंडपीठ ने 1999 के एससी भटेजा और अन्य बनाम भारतीय खाद्य निगम सिविल रिट याचिका संख्या 15943 के मामले में 13 मार्च, 2000 को इस मामले से निपटते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया कि आरोप पत्र को इस दलील पर खारिज किया जा सकता है कि आरोप-पत्र जारी करने में अत्यधिक देरी हुई है। इसके अलावा, डिवीजन बेंच ने **भारत संघ बनाम एन सक्सेना 1992 (4) S.L.R. 11.** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए; **पंजाब राज्य और अन्य बनाम चमन लाल गोयल 1995 S.L.R. 700 और मध्य प्रदेश राज्य बनाम बानी सिंह और अन्य 1990 (Supp.) S.C.C. 738** को निम्नानुसार दोषी ठहराया गया:—

> "**आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एन, राधाकिशन, 1998 (4) एस.सी.सी. 154** मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने देरी के आधार पर जांच की कार्यवाही को रद्द करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते हुए कानून का निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव निर्धारित किया।

"सभी मामलों और उन सभी स्थितियों में लागू होने वाले किसी भी पूर्व निर्धारित सिद्धांत को निर्धारित करना संभव नहीं है जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त करने में देरी होती है। क्या उस आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त की जानी है, प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जांच की जानी चाहिए। मामले का सार यह है कि न्यायालय को सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखना होगा और यह निर्धारित करने के लिए उन्हें संतुलित और वजन करना होगा कि क्या यह स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन के हित में है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही को देरी के बाद समाप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए, खासकर जब देरी असामान्य है और देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। दोषी कर्मचारी को यह अधिकार है कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही तेजी से समाप्त की जाए और उसे मानसिक पीड़ा और मौद्रिक नुकसान से भी गुजरना नहीं पड़ता है जब कार्यवाही में देरी करने में उसकी ओर से किसी भी गलती के बिना अनावश्यक रूप से लंबे समय तक काम किया जाता है। इस बात पर विचार करते हुए कि क्या देरी ने अनुशासनात्मक कार्यवाही को प्रभावित किया है, न्यायालय को आरोप की प्रकृति, इसकी जटिलता पर विचार करना होगा और इस कारण से देरी हुई है। यदि देरी अस्पष्ट ीकृत है, तो अपराधी कर्मचारी के प्रति पूर्वाग्रह इसके सामने बड़ा है। यह भी देखा जा सकता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण अपने कर्मचारी के खिलाफ

आरोपों को आगे बढ़ाने में कितना गंभीर है। यह प्रशासनिक न्याय का मूल सिद्धांत है कि किसी विशेष कार्य को सौंपे गए अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से, कुशलतापूर्वक और नियमों के अनुसार करना होगा। यदि वह अपने मार्ग से भटक जाता है तो उसे निर्धारित दंड भुगतना पड़ता है। आम तौर पर, अनुशासनात्मक कार्यवाही को प्रासंगिक नियमों के अनुसार अपना काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन फिर देरी से न्याय नहीं होता है। देरी 'आरोपी अधिकारी के प्रति पूर्वाग्रह का कारण बनती है जब तक कि यह नहीं दिखाया जा सकता है कि वह देरी के लिए दोषी है या जब अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में देरी के लिए उचित स्पष्टीकरण है। आखिरकार, अदालत को इन दो विविध विचारों को संतुलित करना है।

2000 के सी.डब्ल्यू.पी. सं. 344 में 0.पी**. सचदेवा और अन्य बनाम भारतीय खाद्य निगम और अन्य** के मामले में 13 जनवरी, 2000 को निर्णय लिया गया कि क्या इस न्यायालय ने इस प्रश्न की गहराई से जांच करने के बाद कि क्या जांच की कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जाना चाहिए, यह माना कि केवल देरी को सार्वजनिक नियोक्ता द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

डॉ. ईशर सिंह के मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून याचिकाकर्ताओं के खिलाफ है, न कि उनके मामले का समर्थन करने के लिए।

उस मामले में, इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने कहा कि देरी अपने आप में जांच की कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकती है।

(8) अब हम याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए दूसरे तर्क से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं कि निगम द्वारा वजन घटाने के संबंध में विशिष्ट गाइड-लाइन का पालन नहीं करना अनिवार्य रूप से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने के लिए अनिवार्य नहीं है।

(9) हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यह तर्क 2000 की सिविल रिट याचिका संख्या 10746 में संत सिंह और अन्य बनाम भारतीय खाद्य निगम और अन्य के 29 मई, 2002 के निर्णय में भी उठाया गया था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था।

(10) तिवादियों ने प्रतिवादियों द्वारा दायर उत्तर के संबंध में दिनांक 13 मई, 2002 को एक परिपत्र जारी किया था। इस परिपत्र के अनुसार, समिति द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि अखिल भारतीय स्तर पर कोई विनिर्देश प्रदान नहीं किया जाएगा और व्यक्तियों को इस आधार पर जवाबदेही से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। निगम का यह परिपत्र 2002 की सिविल रिट याचिका संख्या 10355 में विवाद का विषय था जिसका शीर्षक था भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी और दूसरा बनाम भारतीय खाद्य निगम और दूसरा 10 जुलाई, 2002 को निर्णय लिया गया। हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उनके लॉर्डशिप को निम्नानुसार माना जाता है:—

"...हमने याचिकाकर्ता के वकील को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है और हमारी राय है कि ये निगम को तय करने के लिए मामले हैं और चीजों की प्रकृति में अदालत भंडारण / पारगमन नुकसान के संबंध में कोई विशेष मानदंड तय करने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकती है। श्री पटवालिया का तर्क है कि निगम ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि एक क्विंटल की थैली में रखे खाद्यान्न में एक प्रतिशत सूखापन के मुकाबले कितने ग्राम वजन घटाने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम इस संबंध में निगम को कोई निर्देश जारी करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। याचिकाकर्ता, यदि ऐसा सलाह दी जाती है, तो इस संबंध में निगम के समक्ष प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और यदि ऐसा कोई अभ्यावेदन दिया जाता है, तो हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।

रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त ानुसार किया जाता है।

(11) सम्मान के साथ, हम इस न्यायालय की उपरोक्त तीन खंडपीठों द्वारा उपरोक्त मामलों में दिए गए तर्क का पालन करते हैं और व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त करते हुए हम याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए दोनों तर्कों को खारिज करते हैं। किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए हम निर्दिष्ट करते हैं कि भारतीय खाद्य निगम भंडारण के दौरान वजन के नुकसान के मानक को निर्दिष्ट किए बिना विभागीय कार्यवाही शुरू कर सकता है और जारी रख सकता है। इससे विभागीय कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और परिस्थितियों के तथ्यों के अनुसार विभागीय कार्यवाही शुरू करने में विलंब होगा। किसी भी मामले में, याचिकाकर्ताओं के

आचरण को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि चार्जशीट में परिलक्षित होता है, नुकसान जबरदस्त है और इसे अनदेखा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ताओं के बजाय निगम के पक्ष में झुकने के लिए बड़े जनहित की मांग है। विशेष रूप से याचिकाकर्ताओं के लिए किसी विशेष पूर्वाग्रह के अभाव में देरी को चार्जशीट को रद्द करने का आधार नहीं माना जा सकता है।

(12) हम यहां देख सकते हैं कि हमारे समक्ष रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से चूक के कारण, निगम को कथित तौर पर 20 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। इतने बड़े सार्वजनिक नुकसान के लिए इक्विटी प्रारंभिक चरण में विभागीय कार्यवाही को रद्द करने की मांग नहीं करेगी, हालांकि निगम की ओर से कुछ प्रशासनिक चूक भी हो सकती है।

(13) याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए पहले दो तर्कों को हल करने के बाद, अब हम तीसरे और चौथे विवाद पर एक साथ चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनमें प्रस्तुतकरने का एक ही धागा है।

(14) जबकि हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विभागीय कार्यवाही कानून के अनुसार आगे बढ़नी चाहिए और जहां भी सजा का आदेश पारित किया गया है, याचिकाकर्ताओं को प्राधिकरण के समक्ष वैधानिक अपील का उपाय करने के लिए हटा दिया जाना चाहिए, हम यह भी देखने के लिए मजबूर करते हैं कि याचिकाकर्ताओं की दलील में कुछ तथ्य है कि भारतीय खाद्य निगम उसके निर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। और जो व्यक्ति वास्तव में कथित चोरी के दोषी हैं, उन्हें विभागीय कार्यवाही

के अधीन नहीं किया जा रहा है क्योंकि वे निगम में उच्च पद/पद पर हैं।

(15) जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया है कि निगम को भारी नुकसान हुआ है और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में उच्च प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (2002 की सिविल रिट याचिका संख्या 19950 में) किसी भी तरह से इसकी शक्तियों का विवेकपूर्ण प्रयोग नहीं है। सहायक प्रबंधक द्वारा जारी प्रमाण पत्र और जिला प्रबंधक द्वारा विधिवत प्रमाणित (2002 की सिविल रिट याचिका संख्या 19950 में), निम्नानुसार है:—

> "...(ख) मैंने उन लट्ठों को लिखने की स्वीकृति प्रदान की है जो मेरी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। नुकसान चोरी, चोरी, लापरवाही आदि के कारण नहीं हैं और प्रक्रिया में किसी भी दोष को प्रकट नहीं करते हैं ...„

(16) ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर अनुशासनात्मक/सक्षम प्राधिकारी को विचार करना है। न्यायालय कार्यवाही के इस चरण में प्राधिकारी के गुण-दोष या उसकी विषय-वस्तु के आधार पर यात्रा नहीं करेगा। किसी भी मामले में, संबंधित अधिकारियों के लिए यह हमेशा उचित होता है कि वे सभी दोषी अधिकारियों/अधिकारियों के साथ कानून के अनुसार व्यवहार करें, चाहे निगम में संबंधित व्यक्ति की स्थिति/स्थिति कुछ भी हो। यदि पर्यवेक्षी कार्य प्रदान किए जाते हैं और कर्तव्यों के लिए ऐसे अधिकारियों को ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने या न करने के लिए बेहतर तरीके से पर्यवेक्षण करने और भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है, तो हम

उम्मीद करते हैं कि विभाग ऐसे अन्य दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा।

(17)जाहिर है कि याचिकाकर्ताओं को विभागीय कार्यवाही में या अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष इन सभी दलीलों को लेने की स्वतंत्रता है, जैसा भी मामला हो, अदालत ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र या विभागीय कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है और भारतीय खाद्य निगम को भी विभागीय कार्यवाही को यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी मामले में आज से एक वर्ष के भीतर समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। चूक की स्थिति में, इन याचिकाओं में सभी याचिकाकर्ता उचित राहत प्रदान करने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के हकदार होंगे।

(18) इस स्तर पर, रिकॉर्ड पर रखे गए कुछ दस्तावेजों के आधार पर, यह तर्क दिया जाता है कि जिला प्रबंधक / सहायक प्रबंधक और यहां तक कि उच्च अधिकारी जिम्मेदार हैं और निगम के 20 करोड़ रुपये से अधिक के भारी नुकसान में सीधे शामिल हैं।

(19) इन परिस्थितियों में, हम प्रतिवादी निगम को निर्देश देते हैं कि वह इस मामले की गहराई से जांच करे और दोषी अधिकारियों/अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। यदि वे निगम के निर्देशों के अनुसार निगम को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोषी पाए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारियों के लिए स्वयं ही सर्वोत्तम दिशानिर्देश होंगे। इस तरह की कार्रवाई टोडाव से तीन महीने के भीतर की जाएगी।

(20) उपरोक्त नियमों और शर्तों में इन याचिकाओं का निपटारा करते हुए, हम प्रतिवादियों-अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं द्वारा ली गई याचिकाओं पर विधिवत विचार करने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश देते हैं। लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना रिट याचिकाओं का निपटान उपर्युक्त शर्तों में किया जाता है।

(21) सभी आदेश निर्धारित अवधि के भीतर पारित किए जाएंगे। जहां कहीं भी याचिकाकर्ताओं को अपील दायर करने की आवश्यकता होती है या समीक्षा की अनुमति उपलब्ध होती है, वे इसकी मांग करने के हकदार होंगे। इस तरह के उपाय को केवल सीमा के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे इन याचिकाओं को ईमानदारी से आगे बढ़ा रहे थे।

आर.एन.आर.

<u>अस्वीकरण :</u>

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चिनार बाघला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TraineeJudicialOfficer)

अंबाला,हरियाणा